फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर

मोती सिंह बनाम गोपाल

TC 50/19

संख्या :

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
26/5/25	पत्रावली आज दिनांक 26/5/25 को पेश हुई। पीठासीन अधिकारी आज अवकाश पर है, पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 5/6/25 को पेश हो।	
5/6/25	पत्रावली प्रस्तुत। व.फ.उप.। अप्रार्थी-5 की ओर से जवाब पेश नहीं हुआ है पूर्व में कई अवसर दिये जा चुके है अतः जवाब बंद किया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 17/6/25 को पेश हो। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	
17/6/25	पत्रावली प्रस्तुत। व.फ.उप.। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी। अप्रार्थी ने बहस हेतु समय चाहा है अतः पेशी पर बहस करे। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 18/6/25 को पेश हो। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	
18/6/25	पत्रावली प्रस्तुत। व.फ.उप.। उभय पक्ष की बहस सुनी गई। वास्ते आदेश 25/6/25 को पेश हो। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	
25/6/25	पत्रावली प्रस्तुत। व.फ.उप.। वास्ते आदेश दिनांक 3/7/25 को पेश हो। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	
3/7/2025	पत्रावली प्रस्तुत। व.फ.उप.। पूर्वानुसार वास्ते आदेश दिनांक 16/7/2025 को पेश हो। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	
16/7/2025	पत्रावली प्रस्तुत। व.फ.उप.। प्रार्थना-पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 12:03:24 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः श्रीमती सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

प्रार्थना पत्र संख्या– 50/2019

1. मोती सिंह पुत्र स्व० श्री देवीसिंह
2. रामसिंह पुत्र स्व० श्री देवीसिंह
   सर्व जाति राजपूत निवासी गांव नारदपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर
3. सुश्री नरेश कंवर पुत्री श्री शिम्भूसिंह
4. सुश्री शिवंशंकर कंवर पुत्री श्री शिम्भूसिंह
5. सुश्री चेतन कंवर पुत्री श्री शिम्भू सिंह
   नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता श्रीमती नंदा कंवर जाति राजपूत निवासी ग्राम नारदपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।
6. भीमसिंह पुत्र श्री किशोर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम नारदपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।
7. मोलकराम यादव पुत्र स्व. श्री श्योनाथ यादव
8. बाबूलाल पुत्र मोलकराम यादव
9. राकेश पुत्र मोलकराम यादव
10. सुरेश पुत्र मोलकराम यादव
    समस्त जाति अहीर निवासी ग्राम बीड हाथोज, कालवाड रोड तहसील व जिला जयपुर।

........प्रार्थीगण

बनाम

1. गोपाल पुत्र स्व० श्री जगन्नाथ
2. श्योनारायण पुत्र स्व० श्री जगन्नाथ
3. कानाराम पुत्र स्व० श्री जगन्नाथ
4. भगवान सहाय पुत्र स्व० श्री जगन्नाथ
   समस्त जाति अहीर निवासी ग्राम नारदपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।
5. नाथूसिंह पुत्र बनेसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम नारदपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।
6. राजथान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर।
7. उप पंजीयक आमेर तहसील आमेर जिला जयपुरं

........अप्रार्थीगण

अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र

निर्णय दिनांक 16.07.2025

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 12:03:24 IST
Reason: SelfAttested

हस्तगत प्रार्थना अस्थाई निषेधाज्ञा के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम नारदपुरा, तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बर 176 रकबा 6 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 177/232 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 178 रकबा 12 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 179 रकबा 11 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 180 रकबा 6 बीघा, खसरा नम्बर 181/234 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वां, खसरा नम्बर 198 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 199 रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 200 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा कुल किता 9 कुल रकबा 48 बीघा भूमि के खातेदार प्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 के पूर्वाधिकारी स्व० श्री

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

देवीसिंह पुत्र श्री सांवत सिंह जाति राजपूत थे जिनकी मृत्यु के पश्चात उक्त भूमि जरिये विरासत प्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 को प्राप्त हुई। दौराने भू–प्रबंध उक्त भूमि के गत खसरा नम्बरान् का मिलान क्षेत्रफल अनुसार बीघा बिस्वा के स्थान पर मैट्रीक प्रणाली के आधार पर अंकित्त की जाकर जो भूमि के नवीन खसरा नम्बर 319 रकबा 1.20 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 319/404 रकबा 2.36 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 320 रकबा 2.86 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 322 रकबा 3.14 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 323 रकबा 0.63 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 333 रकबा 0.02 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 334 रकबा 0.23 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 365 रकबा 0.12 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 366 रकबा 0.01 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 367 रकबा 1.82 हेक्टेयर कुल किता 10 कुल रकबा 12.39 हैक्टेयर कायम किये गये, जो कि गत जमाबन्दी व मिलान क्षेत्रफल अनुसार सही दर्ज किये गये। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के पास ही अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 की भूमि खसरा नम्बर 318 रकबा 2.34 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 320/509 रकबा 0.12 हैक्टेयर कायम किये गये। अप्रार्थीगण की भूमि रकबा गत जमाबन्दी एवं मिलान क्षेत्रफल अनुसार वर्तमान जमाबन्दी में भी पूर्व के अनुसार दर्ज किया गया। हाल भू–प्रबंध द्वारा जो गत से हाल नक्शा बनाया गया, उसमें बिना किसी न्यायालय व अन्य विधिक विभाग के आदेश के प्रार्थीगण की भूमि के हाल नक्शे में खसरा नम्बरान् का नक्शा गत खसरा नम्बरान् के विपरीत कायम किया गया, यानि जो मिलान क्षेत्रफल व जमाबन्दी में खसरा नम्बरान् दर्ज किये गये वो हाल भू–प्रबंध के अनुसार दर्ज किये गये परन्तु जो हाल नक्शा कायम किया गया वो पूर्व में निरस्त किये गये सेटलमेन्ट के नक्शे के आधार पर ही हाल नक्शा कायम कर दिया। साथ ही जो वर्तमान मे नक्शा बनाया गया उसमे प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 319 रकबा 1.20 हेक्टेयर का नक्शे में रकबा 1.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 319/404 रकबा 2.36 हेक्टेयर जिसके बाद विभाजन खसरा नम्बर 319/404 रकबा 1.58 हैक्टेयर नक्शे में रकबा 1.28 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 543/319 रकबा 0.39 हैक्टेयर नक्शे में रकबा 0. 12 हैक्टेयर खसरा नम्बर 544/319 रकबा 0.39 हैक्टेयर नक्शे में रकबा 0.14 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 320 रकबा 2.86 हेक्टेयर बाद विभाजन खसरा नम्बर 320 रकबा 2.31 हैक्टेयर नक्शे में रकबा 2.22 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 320/1 रकबा 0.55 हैक्टेयर नक्शे में रकबा 0.58 हैक्टेयर,, खसरा नम्बर 322 रकबा 3.14 हेक्टेयर बाद विभाजन खसरा नम्बर 322 रकबा 2.04 हैक्टेयर नक्शे में रकबा 1.63 हैक्टेयर खसरा नम्बर 322/1 रकबा 0.20 हैक्टेयर खसरा नम्बर 322/2 रकबा 0.90 हैक्टेयर नक्शे में 0.98 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 323 रकबा 0.63 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 333 रकबा 0.02 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 334 रकबा 0.23 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 365 रकबा 0.12 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 366 रकबा 0.01 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 367 रकबा 1.82 हेक्टेयर दर्ज किये गये यानि नक्शे में कम भूमि दर्ज की गई। जिस कारण प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर अप्रार्थीगण का खसरा नम्बर अंकित कर दिया। यानि गत के मुकाबले वर्तमान नक्शे में पूर्णतः सीमाएँ विपरीत अंकित की गई। जबकि भू–प्रबंध विभाग को उक्त सीमाओं से छेडछाड करने का कोई अधिकार नही था। ऐसे में प्रार्थी को अपनी खातेदारी की भूमि की सीमाऐं पूर्व गत नक्शे अनुसार दुरूस्त कराकर सीमाऐं घोषित

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 12:03:24 IST
Reason: SelfAttested

कराने का वैधानिक अधिकार प्राप्त हैं। प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 6 में अंकित भूमि वादग्रस्त भूमि है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 के हाल खसरा नम्बर 318 रकबा 2.34 हैक्टेयर स्थान पर 2.72 हैक्टेयर एवं भू–प्रबंध विभाग द्वारा प्रार्थी की खातेदारी भूमि में से ही खसरा नम्बर 320/519 रकबा 0.10 हैक्टेयर अंकित किया गया जिसको नक्शे में 0.20 हैक्टेयर भूमि दी गई अप्रार्थी संख्या 5 की भूमि खसरा नम्बर 313 रकबा 1.84 हैक्टेयर के स्थान पर 2.16 हैक्टेयर एवं इसके साथ ही प्रार्थी की खातेदारी की भूमि के नक्शे में ही खसरा नम्बर 319/510 रकबा 0.10 हैक्टेयर नक्शे में 0.32 हैक्टेयर अंकित कर दिया। उक्त भूमि भू–प्रबंध विभाग द्वारा बिना किसी न्यायालय के आदेश के गत नक्शे के मुकाबले हाल नक्शे में प्रार्थीगण की भूमि कम कर अप्रार्थीगण की भूमि में बढोतरी की जबकि मौके पर पूर्व अनुसार सीमाचिन्ह एवं तारबन्दी स्थित हैं। भू–प्रबधं के कर्मचारियों को उक्त कृत्य बिना सक्षम न्यायालय के आदेश एवं पूर्णतः विधि विधान के विरूद्ध दर्ज किया गया है जिसे प्रार्थीगण दुरूस्त कराने के वैधानिक अधिकारी हैं। वर्तमान में भी जो खसरा नम्बर कायम किये गये उसमें प्रार्थीगण के उपरोक्त खसरा नम्बरान् की भूमि गत के मुकाबले हाल नक्शे में कम कर अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 के नक्शे में दर्ज व अंकित कर दी। यानि जमाबन्दी में दर्ज रकबे के विपरीत प्रार्थीगण का नक्शा छोटा / कम बनाया गया। जबकि अप्रार्थीगण का नक्शा बडा/ ज्यादा अंकित किया गया। जिसे प्रार्थीगण को दुरूस्त कराकर अपने नक्शे को पूर्व अनुसार घोषित कराने का वैधानिक अधिकार प्राप्त हैं। भू–प्रबंध विभाग के कर्मचारियों द्वारा बिना किसी सक्षम न्यायालय एवं बिना प्रार्थीगण की सहमति के प्रार्थीगण के नक्शे में दर्ज भूमि को कम कर दिया। अप्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि की सीमाज्ञान कराने पर उक्त तथ्य की जानकारी आयी जिससे ज्ञात हुआ कि सीमाज्ञान के पश्चात प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में अप्रार्थीगण ने अपना अधिकार प्रदर्शित किया जिस पर प्रार्थीगण द्वारा हाल नक्शा व गत नक्श लेकर उसका मिलान किया परन्तु उनके पूर्व अधिवक्ता द्वारा उन्हें नक्शा दुरूस्ती के बजाय खातेदारी दुरूस्ती का वाद मोलकराम व अन्य बनाम गोपाल व अन्य प्रस्तुत कर दिया, जिसे माननीय न्यायालय से विड्रो कर उक्त वाद प्रस्तुत किया जा रहा हैं। अप्रार्थीगण गलत नक्शे एवं सीमाज्ञान के आधार पर वर्तमान नक्शे अनुसार भूमि पर पत्थरगढी करायेगा एवं उन्हें उनके कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल कर देगें। तब प्रार्थीगण ने उन्हें समझाया कि प्रार्थीगण अर्से दराज से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने के समय से ही जो सीमाचिन्ह प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य अंकित कर रखे उसके अनुसार ही वो काबिज हैं। अप्रार्थी की किसी प्रकार की कोई खातेदारी उनके द्वारा अपनी सीमाओं नही मिला रखी है और उस पर कोई अतिक्रमण कर रखा हैं। लेकिन जब अप्रार्थी नही माना तो प्रार्थीगण द्वारा समस्त राजस्व रिकार्ड एवं हाल व गत नक्शा प्राप्त कर अधिवक्ता से सम्पर्क किया तब उन्हें जानकारी हुई कि उनका नक्शा गत के मुकाबले छोटा कर प्रार्थीगण की सीमाओं में भी गत के मुकाबले भिन्नता उत्पन्न हो गई। भू–प्रबंध विभाग द्वारा माननीय राजस्थान सरकार से निरस्त सेटलमेन्ट के नक्शे के आधार पर वर्तमान नक्शा कायम किया गया एवं प्रार्थीगण को प्राप्त भूमि का नक्शा छोटा कायम किया गया एवं अप्रार्थीगण का

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 12:03:24 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर जयपुर

नक्शा बडा कायम किया गया। जिसके आधार पर अप्रार्थीगण वर्तमान नक्शे व राजस्व रिकार्ड के आधार पर माननीय उपखण्ड अधिकारी के पत्थरगढी के आदेश के आधार पर भूमि से बेदखल कर भूमि पर कब्जा करने पर उतारू हैं। जिसके आधार पर ही अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण को एलानियां धमकी दी कि आप इस भूमि से अपना कब्जा हटा लेवें अन्यथा बाहुबल के आधार पर बेदखल कर दिया जायेगा।

अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 की ओर से जवाब पार्थना पत्र पेश कर अंकित किया कि दौराने भू प्रबंध प्रार्थी की प्रार्थनापत्र के मद नम्बर–2 में वर्णित भूमि के गत खसरा नम्बरान का मिलान क्षेत्रफल अनुसार बीधा बिस्वा के स्थान पर मैट्रिक प्रणाली के आधार पर भूमि खसरा नम्बर 319 रकबा 1.20 हैक्टेयर नक्शे में रकबा 1.30 हैक्टेयर अंकित है जो 0.10 हैक्टेयर अधिक अंकित है। खसरा नम्बर 319/404 रकबा 2.36 हैक्टेयर जिसका वास्तविक रकबा 1.80 हैक्टेयर होता है। गलत अंकित किया गया है। खसरा नम्बर 320 रकबा 2.86 हैक्टेयर जिसे नक्शे में 2.95 हैक्टेयर किया गया है जो 0.09 हैक्टेयर अधिक अंकित है खसरा नम्बर 322 रकबा 3.14 हैक्टेयर अंकित है, खसरा नम्बर 323 रकबा 0.63 हैक्टेयर जो नक्शे में 0.77 हैक्टेयर अंकित है जो 0.14 हैक्टेयर अधिक अंकित है। खसरा नम्बर 333 रकवा 0. 02 हैक्टेयर खसरा नम्बर 334 रकबा 0.23 हैक्टेयर जो नक्शे में 0.50 हैक्टेयर जो कि 0.27 हैक्टेयर अधिक है खसरा नम्बर 365 रकबा 0.12 हैक्टेयर नक्शे में 0.13 हैक्टेयर अंकित है, खसरा नम्बर 366 रकबा 0.01 हैक्टेयर खसरा नम्बर 367 रकबा 1.82 हैक्टेयर जिसे नक्शे में 1. 83 हैक्टेयर जो 0.01 हैक्टेयर अधिक दर्ज की हुई है। कुल किता 10 कुल रकबा 12.39 हैक्टेयर कायम किये गये जो गलत दर्ज किया गया है जबकि वास्तव में रकबा 11.83 हैक्टेयर ही होता है तथा नक्शे में कुल रकबा 12. 08 हैक्टेयर ही होता है। गत खसरा नम्बर 177/232 रकबा 1 बीधा 5 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 319/510 वर्तमान में प्रार्थीगण की खातेदारी मे दर्ज नहीं है ना ही प्रार्थी का उक्त खसरा नम्बर से कोई संबंध व सरोकार ही है जबकि प्रार्थीगण ने उक्त खसरा नम्बर की भूमि को भी अपनी भूमि में सम्मिलित करते हुये उक्त वाद व प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण की भूमि राजस्व रिकार्ड में अंकित रकबे से नक्शे में रकबा 0.25 हैक्टेयर कम होने के बावजूद भी नक्शे में 0.25 हैक्टेयर अधिक भूमि दर्ज कर रखी है। जिससे गत जमाबंदी व मिलान क्षेत्रफल के अनुसार तथा रकबे व नक्शे के अनुसार सही दर्ज अंकित नहीं की गयी है। प्रार्थनापत्र का मद नम्बर–4 जिस प्रकार से वर्णित है स्वीकार है। प्रार्थीगण की भूमि के पास ही अप्रार्थी की भूमि स्थित है तथा अप्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 318 रकबा 2.34 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 319/509 रकबा 0.12 हैक्टेयर सही दर्ज अंकित किया गया है। प्रार्थनापत्र का मद नम्बर 5 जिस प्रकार से वर्णित है असत्य एवं अस्वीकार है। सभी तथ्य वादी ने इस मद में मिथ्या व आधारहीन अंकित किये है जिनका सत्यता से कोई संबंध व सरोकार नहीं है। अप्रार्थी सं. 1 ता 4 की भूमि जमाबंदी व मिलान क्षेत्रफल के अनुसार रकबे के अनुसार ही नक्शे में सही दर्ज अंकित की गयी है जिसके संबंध में प्रार्थीगण को कोई आपत्ति करने का कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है ना ही प्रार्थीगण को

सहायक कलक्टर
आमेर म. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 12:08:24 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 की भूमि से किसी प्रकार का कोई संबंध व सरोकार है। प्रार्थनापत्र का मद नम्बर–6 जिस प्रकार से वर्णित है असत्य एवं अस्वीकार है। सभी तथ्य प्रार्थी ने इस मद मे मिथ्या व आधारहीन अंकित किये है जिनका सत्यता से कोई संबंध व सरोकार नहीं है। भू प्रबंधक विभाग द्वारा अप्रार्थी सं 1 ता 4 की भूमि का खसरा नम्बरान का गत खसरा नम्बरान व हाल खसरा नम्बरान के अनुसार नक्शे में दर्ज अंकित की गयी है। सभी तथ्य प्रार्थी ने इस मद में मिथ्या व आधारहीन अंकित किये है जिनका सत्यता से कोई संबंध व सरोकार नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 की भूमि जिसके हाल खसरा नम्बर 318 जिसे राजस्व रिकार्ड के अनुसार तथा मिलान क्षेत्रफल व नक्शे मे तरमीम के अनुसार दर्ज अंकित की गयी है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 का भूमि खसरा नम्बर 320/519 रकबा 0.10 हैक्टेयर से कोई संबंध व सरोकार नहीं है ना ही अप्रार्थी से 1 ता 4 का कोई भूमि 320/519 राजस्व रिकार्ड में अंकित है। अप्रार्थी सं 1 ता 4 का खसरा नम्बर 313 व रकबा 319/510 से किसी प्रकार का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। भू प्रबंध विभाग द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 की भूमि में किसी प्रकार की कोई बढोत्तरी नहीं की गई है ना ही प्रार्थीगण की भूमि में कमी की जाकर अप्रार्थी सं 1 ता 4 की भूमि का रकबा व नक्शे में तरमीम की गई है। बल्कि सही व वास्तविक स्थिति के अनुसार प्रार्थीगण की भूमि रकबे के बजाय नक्शे में 0.24 हैक्टेयर अधिक अंकित की गयी है। अप्रार्थी सं 1 ता 4 के हाल खसरा नम्बर 318 रकबा 2.34 हैक्टेयर अंकित है जो खसरा परिशोधन से खसरा नम्बर गत 177/233 व 179/1 बना है खसरा नम्बर 179/1 रकबा 6 बीधा तथा परिशोधन द्वारा 177/233 को सयुंक्त रूप से मिलाकर खसरा नम्बर 318 अंकित किया गया है, खसरा नम्बर 320 / 509 रकबा 0.12 हैक्टेयर अंकित है जो कि साबिक खसरा नम्बर 173/1 रकबा 5 बीधा के विभाजन के द्वारा नवीन खसरा नम्बर 311 रकबा 0.65 हैक्टेयर नक्शे में क. 63 हैक्टेयर है खसरा नम्बर 312 रकबा 0.50 हैक्टेयर तथा नक्शे में 0.35 हैक्टेयर खसरा नम्बर 320/509 रकबा 0.12 हैक्टेयर नक्शे में 0.18 हैक्टेयर दर्ज अंकित है। उक्त तीनो खसरा नम्बरान में रकबा 1.27 हैक्टेयर तथा नक्शे में 1.16 हैक्टेयर दर्ज अंकित है जो 0.11 हैक्टेयर कम दर्ज अंकित है, खसरा नम्बर 110 रकबा 2.03 हैक्टेयर नक्शे में 1.73 हैक्टेयर जो 0.30 हैक्टेयर कम दर्ज अंकित है, जिसे अप्रार्थी सं 1 ता 4 दुरूस्त करवाने के अधिकारी है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध उक्त प्रार्थनापत्र झूठे व मनगढंत आधारो पर अप्रार्थीगण सं 1 ता 4 अपनी भूमि पर पत्थरगढी नहीं करवा पावे इस कारण से प्रस्तुत किया है जिससे प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र इसी आधार पर खारिज होने योग्य है। प्रार्थीगण किसी भी नक्शे में या सीमाओं में व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त करवाने के किसी प्रकार से कानूनन अधिकारी नहीं है। प्रार्थनापत्र का मद नम्बर–9 जिस प्रकार से वर्णित है असत्य एवं अस्वीकार है। अप्रार्थी सं 1 ता 4 द्वारा राजस्व कर्मचारियों से किसी प्रकार की कोई सांठगांठ व विधि विरूद्ध प्रार्थीगण की भूमि को अपनी भूमि में गलत रूप से दर्ज अंकित नहीं करायी है प्रार्थीगण ने इस मद में अंकित तथ्य अप्रार्थी सं 1 ता 4 के विरूद्ध मिथ्या व आधारहीन अंकित किये है जिनका सत्यता से कोई संबंध व सरोकार नहीं है। अप्रार्थी सं 1 ता 4 की भूमि से प्रार्थीगण का किसी प्रकार का कोई

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 12:03:24 IST
Reason: SelfAttested

संबंध व सरोकार नहीं है। प्रार्थनापत्र का मद नम्बर ... जिस प्रकार से वर्णित है असत्य एवं अस्वीकार है। सभी तथ्य प्रार्थी ने इस मद मे मिथ्या व आधारहीन अंकित किये है जिनका सत्यता से कोई संबंध व सरोकार नहीं है। अप्रार्थी सं 1 ता 4 द्वारा अपनी भूमि खसरा नम्बर 318 रकवा 2.34 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 320/509 रकवा 0.12 हैक्टेयर का विधिवत रूप से सीमाज्ञान करवाकर माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर के यहां पत्थरगढी बावत प्रस्तुत कर रखा है। जिसमें अप्रार्थीगण भी पक्षकार है। लेकिन प्रार्थीगण येन केन प्रकारेण अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 की भूमि की पत्थरगढी नहीं होने देना चाहते है जिस कारण उनके द्वारा पूर्व में भी एक वाद मिथ्या व असत्य तथ्यों पर मान्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था। जिसमें अप्रार्थी सं 1 ता 4 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर बहस हेतु प्रकरण नियत किया गया था। जिसमें प्रार्थीगण द्वारा बहस नहीं कर उक्त प्रकरण को विड्रो कर लिया तथा पुनः उन्ही तथ्यों के आधार पर यह मिथ्या वाद प्रस्तुत कर दिया जो कि चलने योग्य नहीं है बल्कि सरसरी तौर पर ही खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण की बदनियति इसी से स्पष्ट होती है कि अप्रार्थीगण की भूमि की पत्थरगढी नहीं हो इस कारण से उसके द्वारा अप्रार्थी सं 1 ता 4 को व्यर्थ में हैरान व परेशान किये जाने की बदनियति से प्रस्तुत किया गया हे जो खारिज होने योग्य है। प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 के विरूद्ध किसी प्रकार की कोई दुरूस्ती व घोषित किये जाने नक्शे में सीमाओ की डिकी प्राप्त करने का कानूनन अधिकार प्राप्त नहीं है। ना ही प्रार्थीगण ग्राम नारदपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित कृषि भूमि में अप्रार्थी सं 1 ता 4 की भूमि को नक्शे में तरमीम को डिलीट करवाने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है।

प्रार्थीगण को उक्त तथ्य के संबंध में पूर्व से ही जानकारी थी, अप्रार्थीगण द्वारा अपनी भूमि की सीमाज्ञान दिनांक 9 मई 2018 करवा ली गई थी तथा उक्त सीमाज्ञान प्रार्थीगण की मौजूदगी व उनकी जानकारी में हुयी थी। तत्पश्चात प्रार्थीगण द्वारा मान्य न्यायालय के समक्ष मिथ्या व आधारहीन तथ्यों के आधार पर एक वाद प्रस्तुत किया गया था तथा उसमें मान्य न्यायालय से अन्तरित अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित करवा लिया था जिससे कि अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 अपनी भूमि की पत्थरगढी नहीं करवा सके। एवं पुनः उन्ही तथ्यों पर उन्ही पक्षकारो द्वारा पुनः मिथ्या व आधारहीन आधार पर यह मिथ्या वाद अप्रार्थी सं 1 ता 4 के विरूद्ध प्रस्तुत किया है जो खारिज होने योग्य है। प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थनापत्र अप्रार्थी सं 1 ता 4 के विरूद्ध इस बदनियति से प्रस्तुत किया है कि वह अपनी भूमि की पत्थरगढी का आदेश प्राप्त नहीं कर लेवे तथा प्रार्थीगण की आधिपत्य व कब्जे में स्थित भूमि जो कि रकबे व नक्शे में अधिक दर्ज अंकित की हुयी है तथा उनके द्वारा अपने हिस्से से अधिक भूमि जो कि अप्रार्थीगण सं 1 ता 4 की भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर रखा है वह भूमि अप्रार्थी सं 1 ता 4 प्राप्त नहीं कर सके अपार्थी सं 1 ता 4 द्वारा मान्य तहसीलदार महोदय आमेर के आदेश द्वारा अपनी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर उक्त भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहते है जिससे कि भविष्य में सीमाओं के संबंध में किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न नहीं हो लेकिन प्रार्थीगण की नियत में बेईमानी व फितुर आया हुआ है जिससे वह अप्रार्थी सं 1 ता 4 को उनके हक हिस्से की

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 12:03:24 IST
Reason: SelfAttested

भूमि को हडप करने की बदनियति से येन केन/प्रकारेण झूठे व मिथ्या आधारो पर वाद व प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर पत्थरगढी के आदेश अप्रार्थी सं 1 ता 4 प्राप्त नहीं कर लेवे इसी बदनियति से इस आधार पर उक्त मिथ्या व आधारहीन तथ्यों के आधार पर यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है। अप्रार्थी सं 1 ता 4 द्वारा कभी भी प्रार्थीगण को किसी प्रकार की कोई धमकी नहीं दी। जब प्रार्थीगण की भूमि अप्रार्थी सं 1 ता 4 के कब्जे व खातेदारी व नक्शे में दर्ज ही नहीं है तो अप्रार्थी सं 1 ता 4 द्वारा उन्हे हस्तक्षेप, मजाहमत पैदा करने के तथ्य स्वतः ही मिथ्या साबित हो जाते है। प्रार्थीगण अप्रार्थी सं 1 ता 4 को किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का कानूनन अधिकारी नहीं है। अपार्थी सं 1 ता 4 ने मान्य उपखण्ड अधिकारी आमेर के यहां पत्थरगढी बाबत जून 2018 में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया था जिसमें बाद तामील प्रार्थीगण उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया गया था जिससे प्रार्थीगण को विवादमूल दिनांक 5.4.2018 को पैदा होने वाले कथन स्वतः ही मिथ्या साबित हो जाते है तथा इस मद में झूठे व मिथ्या आधारो पर उक्त प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। जब प्रार्थीगण को किसी प्रकार का कोई विवादमूल दिनांक 5.4.2018 को उत्पन्न ही नहीं हुआ तो बिना विवादमूल उत्पन्न हुये प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। सभी तथ्य प्रार्थी ने इस मद में मिथ्या व आधारहीन अंकित किये है जिनका सत्यता से कोई संबंध व सरोकार नहीं है। प्रार्थीगण का अप्रार्थी सं 1 ता 4 की भूमि से किसी प्रकार का कोई संबंध व सरोकार ही नहीं है तथा प्रार्थीगण की भूमि का किसी प्रकार का कोई भाग व हिस्सा अप्रार्थी सं 1 ता 4 की भूमि में अंकित नहीं है बल्कि प्रार्थीगण की भूमि उनके वास्तविक रकबे के विपरित 0.24 हैक्टेयर भूमि अधिक अंकित की है जिसका कि उन्हे किसी प्रकार का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं था। जिससे प्रमि दृष्टया प्रकरण व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं होकर अप्रार्थी सं 1 ता 4 के पक्ष में पूर्णतया साबित है। जिससे प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र खारिज होने योग्य है। प्रार्थनापत्र का मद नम्बर–22 जिस प्रकार से वर्णित है असत्य एवं अस्वीकार है। सभी तथ्य प्रार्थी ने इस मद मे मिथ्या व आधारहीन अंकित किये है जिनका सत्यता से कोई संबंध व सरोकार नहीं है। प्रार्थीगण अप्रार्थी सं 1 ता 4 को किसी भी प्रकार से अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का कानूनन अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रार्थीगण अप्रार्थीगण सं 1 ता 4 को अपनी भूमि के सीमाज्ञान के आधार पर पत्थरगढी करवाने का कानूनन अधिकार प्राप्त है। जिसके संबंध में प्रार्थीगण को अप्रार्थी सं 1 ता 4 को पत्थरगढी करवाने से पाबन्द करवाने का कोई कानूनन हक व अधिकार प्राप्त नहीं है। अप्रार्थीगण [illegible] ता 4 की पत्थरगढी होने से प्रार्थीगण के विधिक अधिकारो का किसी प्रकार [illegible] होगा ना ही उन्हे किसी प्रकार की अपूर्तनीय क्षति कारित होगी। बल्कि [illegible] से अप्रार्थी सं 1 ता 4 को अपने स्वामित्व व कब्जे काश्त की भूमि की सीमा[illegible] के संबंध में विवादों में उलझते रहेंगे। जिससे प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र अप्रार्थी सं 1 ता 4 के विरूद्ध खारिज किये जाने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थनापत्र मंय शपथपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि जवाब प्रार्थनापत्र के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र भारी हर्जे सहित निरस्त फरमाया जावें।

सहायक कलक्टर
आमेर म. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 11:03:24 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण संख्या – 50/2019
यउनवानी – मोती सिंह बनाम गोपाल वगै0
निर्णय दिनांक :– 16.07.2025

विद्वान उभयपक्ष बहस सुनी गई जिन्होने मुख्य रुप से उन्ही तथ्यों का वर्णन किया जो प्रार्थना पत्र में अंकित किए गए हैं। हमने विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की भूमि के रकबा व खसरे नम्बर व नक्शे मे तरमीम के संबंध में पेश किया गया है। परन्तु प्रार्थी ने ऐसा कोई साक्ष्य पेश नही किया की अप्रार्थीगण उक्त आराजी को खदु फुर्द कर रहे हो ऐसे में प्रथम दृष्टया मामला साबित नही होता है, ना ही सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के तथ्य प्रार्थी के पक्ष में साबित होते है। फलस्वरूप प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु० जयपुर

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 12:03:24 IST
Reason: SelfAttested